

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -	तारीख दायर	तारीख फैसला
20/2019/प्रार्थना पत्र	31.01.2019	05.09.2019

उनवान

अशोक कुमार पिता भवानीशंकर ब्राम्हण नि० पनोतिया तह० फूलियाकलां
- प्रार्थी
बनाम

- 1- लादूलाल पिता घीसा कुमावत नि० घासीखेड़ा पनोतिया त० फूलियाकलां
- 2- मूला पिता रामसुख कुमावत नि० घासीखेड़ा पनोतिया तह० फूलियाकलां
- 3- मेघराज पिता जगदीश कुमावत नि० घासीखेड़ा पनोतियात० फूलियाकलां
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 6 आ०न० 2443/699 रकबा 0.11 है०, कुल कित्ता 01 रकबा 0.11 है० भूमि स्थित है। पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 3 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के सम्मन



बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 6 आ0न0 2443/699 रकबा 0.11 है0, कुल किता 01 रकबा 0.11 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण 1 लगायत 3 के आंशिक स्वीकार किया जाकर बाके ग्राम पनोतिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 6 आ0न0 2443/699 रकबा 0.11 है0, कुल किता 01 रकबा 0.11 है0 का प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 100/- (अक्षरे एक सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा